

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल

क्रमांक 4 अ-82/16-17 252
प्रति,

बैतूल दिनांक - 01 -2018

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2,
बैतूल ।

विषय:- मौजा बासनेरकला जलाशय के भू-अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

विषयान्तर्गत भू-अर्जन प्रकरण में विशेष समिति की राय प्राप्त हुई है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त विशेष समिति की राय का आपके कार्यालय में एवं ग्राम स्तर पर विधिवत प्रकाशन कराते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(शशाक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 क्रमांक 4 अ-82/16-17/252 बैतूल दिनांक - 01 -2018
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही,
- 3- तहसीलदार भैसदेही,

को विशेषज्ञ समिति की राय का विधिवत प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशन की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर कलेक्टोरेट बैतूल को अग्रेषित, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


अपर कलेक्टर,
बैतूल

अ.वि.अ./2018

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व भैंसदेही

वषय:-
संदर्भ:-

बासनेर कला जलाशय हेतु मौजा बासनेर कला की भूमि का अर्जन हेतु विशेषज्ञ समिति की राह।
कलेक्टर महोदय बैतूल के आदेश दिनांक 12.11.2017 के तहत विषयांकित भू-अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया था।

—00—


ए - (तकनीकी विशेषज्ञ)

1. श्री अमर येवले, कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल, अध्यक्ष

बी- (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ)

2. श्री व्ही.ए.एस. सिद्धकी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन भैंसदेही
3. श्री एस.के.जैन, उपयंत्री, जल संसाधन भैंसदेही

सदस्य


S.K. Jain Sub Engineer

सी - (दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी)


4. श्री पी.एस. बालापुरे, अधिवक्ता, भैंसदेही, सदस्य

5. श्री व्ही. डी. कोसे, अधिवक्ता, भैंसदेही, सदस्य

डी- (ग्राम पंचायत के दो प्रतिनिधि)

6. श्री भूता सरपंच, ग्राम पंचायत बासनेरकला, सदस्य


7. श्री चुनावक लिखितकर उप सरपंच बासनेरकला, सदस्य



P.S. Balapur
भूता सरपंच
आ.प. बासनेरकला

उपरोक्त विशेषज्ञ समिति को बासनेरकला जलाशय हेतु भू-अर्जन प्रकरण में पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण समिति के द्वारा पूर्व में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एवं जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी कराया गया था। जिसकी प्रति विशेषज्ञ समिति के नामांकित सदस्यों को प्रदाय की गई।

अध्यक्ष कार्यपालन यंत्री जल संसाधन बैतूल के द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाकर एवं बासनेरकला जलाशय के अर्जन के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया साथ ही योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी एवं प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में तथा योजना से संबंधित लाभ के समस्त जानकारियों से अवगत कराया गया जिसके आधार पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
2. प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
3. प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिस्मृतियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
4. आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
5. इस परियोजन के लिये शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किये गये हैं।
6. जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
7. मर्यावरण पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। क्षेत्र में जलरतर की मात्रा अधिक होने के साथ वृक्षारोपण में अधिक मात्रा में किया जाकर वृक्षों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है।
8. क्षेत्र के पशु पक्षियों को वर्ष भर सुगमता से पानी प्राप्त होते रहेगा एवं उनके चारे आदि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी।
9. क्षेत्र के कुएँ का जलस्तर बढ़ेगा जिससे क्षेत्र की जनता को स्वच्छ जल पीने का वर्षभर उपलब्ध रहेगा। इस डेम जिन क्षेत्रों में नहर सुविधा नहीं है किन्तु डेम के नजदीकी क्षेत्र होने के कारण वहां पर भी कुएँ नलकूपों के जलस्तर में वृद्धि होगी जिससे रबी फसल में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषकों के आय में वृद्धि होना संभावित है।


कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग क्र. 2
बैतूल


for अनुविभागीय अधिकारी
जलसंसाधन संभाग उपखण्ड
भैंसदेही